

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, जिला अल्मोडा।

फौ0 वा0 सं0-284 / 2022

सरकार बनाम पान देव जोशी

15.04.2023: वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश।

अभियुक्त पान देव जोशी अपने विद्वान अधिवक्ता श्री सी0पी0पाण्डे के साथ न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना खान न्यायालय में उपस्थित हैं।

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट मध्यस्थता रिपोर्ट हेतु नियत है।

मध्यस्थता सेण्टर अल्मोडा से आख्या रिपोर्ट न्यायालय में पेश। आख्या रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है कि पक्षकारों में मध्य मध्यस्थता सफल रही। अभियुक्त द्वारा मध्यस्थता आख्या की पुष्टि की गई। वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित नहीं है। वादिनी मुकदमा को मध्यस्थता आख्या के सम्बन्ध में पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस जारी हो। कार्यालय आदेश का पालन करे।

पत्रावली वास्ते दिनांक 01.05.2023 को वास्ते वादी मुकदमा की उपस्थिति/मध्यस्थता पर वादी मुकदमा की सुनवाई हेतु पेश हो।

(शिवानी नाहर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत।